

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

20/11/2024

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बदेलिया के जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 778, 776, 923, 777 में मेरा नाम गोपाल पुत्र खाना व कदमालाल दर्ज है जिसको

गोपाल पुत्र खाना दर्ज करवाने की इच्छा है
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

गोपाल खाना

दिनांक:- 23/11/2024

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम बदेलिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 के खाता संख्या 778, 776, 923 में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र खाना व कदमालाल दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम गोपाल पुत्र खाना है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. [Signature]

पटवारी [Signature]
पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.भू.रा.अ. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी बदेलिया व भू.अ.नि. बदेलिया एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम बदेलिया की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 778, 776, 923, 777 में प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र खाना के बजाय गोपाल पुत्र खाना किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

907 0155122
10/11/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम बदेलिया जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 खाता संख्या 778, 776, 923, 777 में दर्ज प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र खाना के स्थान पर गोपाल पुत्र खाना संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
प्रमारी [Signature]
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)